

20/11/20

पत्राचार की सहायता। वकील वादीगण उच्च न्यायालय के पास से काफ़ी दिनांक 18/11/20 को पेश हो।

18/12/20

पत्राचार की सहायता। वकील वादीगण उच्च न्यायालय के पास पुकारे जाने पर नाले वादीगण ना ही वकील वादीगण न्यायालय के समक्ष पेश हों। अतः न्यायालय दफ़्तर वाद-वादीगण को कदम बाज़ीरी कदम फ़ैली में खारिज करवाते। पत्राचार की गिनताउकाए दफ़्तर दफ़्तर से नफ़र ले कर हो।

(पवन कुमार)

उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

